

राज. एन। पत्रावली  
को पेश है।

19/12/25

पत्रावली में कोई भी उपरोक्त हुआ पुनः  
आवाज नहीं। कोई भी उपरोक्त हुआ  
अब, पत्रावली अदम-पैरवी, अदम-हापरी रसी  
संख्या पर खारिज ही जाती है। पत्रावली संसद  
संख्या होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल  
दफ्तर है।

